हिन्दुस्तान

तरक्की को चाहिए नया नजरिया

गुरुवार, 14 मई 2020, नई दिल्ली, पांच प्रदेश, 21 संस्करण

www.livehindustan.com

वर्ष 85, अंक 115, 14 पेज, मूल्य ₹ 4.50, हिन्दुस्तान टाइम्स के साथ मूल्य ₹ 9.00 एवं एचटी एज के साथ मूल्य ₹ 5.50

नोएडा LIVE

गुरुवार, 14 मई 2020

200 बिल्डर प्रोजेक्ट को फायदा

नोएडा | मुख्य संवाददाता

सरकार द्वारा घोषित किए गए महापैकेज में बिल्डर प्रोजेक्ट को कुछ राहत दी गई है लेकिन इस राहत को वह नाकाफी मान रहे हैं। उनका कहना है कि रेरा के तहत रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट के कंप्लीशन का समय छह माह बढ़ने से यहां पर निर्माणाधीन करीब 200 प्रोजेक्ट को लाभ मिलेगा और उन्हें पैनल्टी नहीं देनी होगी, लेकिन उनकी जो उम्मीदें थीं, वह इस पैकेज में पूरी नहीं हो सकी हैं।

घोषणाओं के पहले चरण में उनके लिए खास कुछ नहीं है। उन्हें उम्मीद है कि दूसरे चरण में केंद्र सरकार उनके लिए भी कुछ घोषणाएं करेगी और संकट के दौर से गुजर रहे बिल्डरों को राहत मिलेगी। गौर ग्रुप के चेयरमैन और क्रेडाई के अध्यक्ष मनोज गौर ने कहा कि बुधवार को जो घोषणाएं हुई हैं, उनमें रेरा में रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट का समय छह माह के लिए आगे बढ़ाने के अलावा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि सरकार एमएसएमई की तरह रियल स्टेट को भी परिभाषित करेगी और इससे छोटे बिल्डर को राहत मिलेगी।

सुपरटेक ग्रुप के चेयरमैन आर.के अरोड़ा ने कहा कि पहले चरण में हुई घोषणा के तहत रेरा के छह माह बढ़ाए हैं। एनबीएफसी में 75 हजार करोड़ दिया गया है। टीडीएस में कटौती की है, जिसका लाभ बायर को मिलेगा और उसका कुछ पैसा बचेगा। लोगों के हाथों में पैसा आयेगा तो वह आगे खर्च कर पायेगा। आने वाले समय में उन्हें उम्मीद है कि हालात बदलेंगे और सरकार उनके लिए भी राहत भरी घोषणाएं करेगी।

कयास

- बिल्डर को उम्मीद, अगले चरण में उन्हें सरकार कुछ राहत देगी
- पहले चरण में उनके लिए खास कुछ नहीं

03 लाख से ज्यादा खरीदारों को अपना घर मिलने का इंतजार

08 साल से ज्यादा समय से संघर्ष कर रहे हैं फ्लैट खरीदार

गौर ग्रुप के चेयरमैन और क्रेडाई के अध्यक्ष मनोज गौर ने कहा कि बुधवार को जो घोषणाएं हुई हैं, उनमें रेरा में रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट का समय छह माह के लिए आगे बढ़ाने के अलावा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि सरकार एमएसएमई की तरह रियल स्टेट को भी परिभाषित करेगी और इससे छोटे बिल्डर को राहत मिलेगी।